मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/ 5557/मॉनिट/डी–8/2017 भोपाल, दिनांक 29.04.2017

प्रति,

1. **संभागीय आयुक्त,**
   संभाग–समस्त (मध्यप्रदेश)
2. **कलेक्टर,**
   जिला–समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय :– ग्राम उदय से भारत उदय अभियान – ग्राम संसदो में प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण।
संदर्भ :– विभागीय पत्र क्रमांक 3745/मॉनिट/डी–8/2017 दिनांक 30.03.2017।

आप विदित हैं कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का तृतीय चरण दिनांक 01 मई से प्रारंभ हो रहा है। अभियान के दौरान ग्राम संसदों में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण तृतीय चरण में दिनांक 01 मई से 21 मई 2017 की अवधि में अनिवार्यतः किया जाना है। तृतीय चरण में निम्न कार्यवाही की जाना हैं :–

1. अधोसंरचना विकास के जिला स्तर पर स्वीकृत होने वाले कार्यो को प्रारंभ कराना,
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम दो वृक्षारोपण की परियोजनाएं स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कराना,
3. प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों के कार्य प्रारंभ कराना,
4. प्रत्येक ग्राम में एक तालाब जीर्णोद्धार/निर्माण का कार्य प्रारंभ कराना, और
5. हितग्राहीमूलक योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को देय लाभ/सहायता के आवेदनों एवं शिकायतों का परीक्षण एवं पात्र प्रकरणों की स्वीकृति की प्रकिया पूरी कराना।

2. जिला कलेक्टर तृतीय चरण की कार्यवाही के लिए निम्न कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें :–

2.1 दिनांक 03.05.17 को प्रत्येक जनपद पंचायत मुख्यालय पर क्लस्टरवार बैठक आयोजित की जाये। ग्राम संसद में प्राप्त सभी आवेदनों का पूर्व में जारी प्रपत्र–3 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार वर्गीकरण किया जाए एवं जनपद पंचायत के अधीन आने वाले सभी क्लस्टरों की जानकारी प्रपत्र–3 में संकलित कर उसी दिन पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड/अद्यतन की जावे।

2.2 हितग्राही मूलक आवंदनों के निराकरण के लिए जनपद पंचायत की कार्य योजना बनाकर अधिकारियों की क्लस्टरवार/ग्राम पंचायतवार डयूटी लगाई जावे।

2.3 सामुदायिक कार्यो के आवेदन जो प्रथम दृष्टया अर्थात जिले की अधिकारिता के बाहर हों उन्हें संकलित कर उसी दिन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अग्रेषित किया जाये। इन आवेदनों के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर संबंधित अधिकारियों की बैठक दिनांक 8 मई 2017 या पूर्व में लें और विभाग के जिला अधिकारियों के अभिमत के साथ आवेदन संबंधित विभागों को भेजे जाये।

2.4 सामुदायिक कार्यो के शेष आवेदन/शिकायतों के परीक्षण, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया के लिए जिला अधिकारियों की नामजद डयूटी लगाई जाये।

2.5 दिनांक 03.05.2017 को उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रत्येक जनपद पंचायत मुख्यालय पर अपर कलेक्टर/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/डिप्टी कलेक्टर/अन्य सक्षम जिला अधिकारी की उपस्थिति में कार्रवाई सम्पन्न कराई जाये। यदि सम्भव हो तो कलेक्टर स्वंय भी किसी एक जनपद पंचायत में उपस्थित रहें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 5558/मॉनिट/डी-8/2017 भोपाल, दिनांक 29/04/2017

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री / राज्य मंत्री, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्य मंत्री कार्यालय ।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), म.प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
5. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय ।
6. समस्त कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- समस्त, मध्यप्रदेश ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत- समस्त, मध्यप्रदेश ।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग